न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2016/00136

अपील संख्या – 6/16

1. श्यामलाल }
2. प्रेमलाल } पिसरान मुकंदी
3. अमरलाल }
4. भंवरसिंह }
5. अनिल } पिसरान गुरगन
6. हरभेजी बेवा गुरगन
7. सुरस्ती }
8. विद्या }
9. वीणा } पुत्रीयां गुरगन
10. रीणा }
11. सीना }
12. कमला }
13. अमृतलाल पुत्र खूबी
14. विशम्भर }
15. जयप्रकाश } पुत्रगण श्यामसिंह
16. अजय }
17. लाला }
18. सरोज } पुत्रीयां श्यामसिंह
19. वासमती बेवा श्यामसिंह
20. रामदास }
21. बनीसिंह } पिसरान मूंगा
22. लक्ष्मी पुत्री मूंगा

समस्त जातियान जाटव निवासीयान मूल्याकापुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0)।

अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली(राज0)।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 203/13 निर्णय दिनांक 12.6.15 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुरेश चंद शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 पैरोकार सरकार

दिनांक 29.1.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरूद्व निर्णय दिनांक 12.6.15 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार [illegible] प्रार्थी/रेस्पो0 तहसीलदार हिण्डौन ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0 एक्ट इस आशय का पेश किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

है कि ख0 न0 1320 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम मूल्या का पुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कर लिया है जो अनेक वर्षो से उक्त आराजी में संचालित है। इस प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि को वर्षो से अकृषि कार्य में लिया जा रहा है। अतः उक्त भूमि को सिवायचक घोषित कर विपक्षी को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पों0 द्वारा चाही जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पों0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश कि गयी।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 1320 रकबा 0.19 है0 अपीलांट की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त खसरा नं0 खाता संख्या 163 संवत 2069–2072 में कुल किता 45 कुल रकबा 6.50 है0 ग्राम मूल्याकापुरा तहसील हिण्डौन सिटी में स्थित है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के, अपीलांट की तामील कराये बिना एवं अपीलांट को सुने बिना ही उक्त विवादित खसरा नं0 1320 से अपीलांट को बेदखल कर कब्जा भूमिधारी तहसीलदार को सौंपा जाने के आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 177 आर.टी.एक्ट दिनांक 16.12.2013 को दर्ज कर निर्णय की दिनांक तक एक भी दिन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी न्यायालय में नहीं बैठे जो प्रार्थना पत्र की सम्पूर्ण आर्डरसीट से साबित है तथा दिनांक 12.06.2015 को राजस्व लोक अदालत में बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही आदेश पारित कर अपीलांट को बेदखल कर कानूनी भूल की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर हिण्डौन का निर्णय दिनांक 12.06.2015 निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.06.2015 को निर्णय पारित करने के बाद उसी निर्णय में दिनांक 24.08.2015 को नोट अंकित किया कि उक्त विवादित आराजी भूमि को राज्यहित में सिवायचक दर्ज किया जावें। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनस्थ न्यायाालय द्वारा बिना अपीलांट को सुने, मनमाने तरीके से एवं एक तरफा की गयी है जो विधि विरूद्व है एवं इस बिना पर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2015 को निर्णय पारित करने के बाद पत्रावली दाखिल दफतर की गयी उसके बाद भी पत्रावली रिकॉर्ड पर चल रही है जो अदालत मातहत का मनमाना कार्य है। पत्रावली को दिनांक 12.06.2015 को दाखिल दफतर कर पुनः 6 माह पश्चात् दिनांक 28.12.2015 को अदालत में पेश होकर आगामी पेशी दिनांक 21.03.2016 नियत की गयी हैं, इसलिये अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है। खसरा नं0 1320 रकबा 0.19 है0 के साथ खसरा नं0 1321 रकबा 0.24 है0 में से सर्व समाज जाटव बस्ती द्वारा दोनों खसरा नम्बर में से स्कूल के लिये दी थी, लेकिन उक्त खसरा नम्बर 1320 [illegible] पूर्ण 5 ऐयर रकबा स्कूल को प्रदर्शित कर रखी है शेष आराजी पर अपीलांट [illegible] अदालत मातहत ने बिना साक्ष्य सबूत के अपीलांट को नुकसान पहुँचाने [illegible] खातेदारी से अपीलांट को बेदखल करने तथा सिवायचक घोषित होने के आदेश पारित करने की कानूनी भूल की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:53:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उक्त आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 2.2.16 को दी जाने पर निर्णय की जानकारी हुई। इस प्रकार अपील जानकारी के आधार पर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया है कि खसरा नं0 1320 रकबा 0.19 है0 ग्राम मूल्या का पुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कर लिया है जो अनेक वर्षो से उक्त आराजी में संचालित है। इस प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि को वर्षो से अकृषि कार्य में लिया जा रहा है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को सिवायचक कर भूमि से बेदखल कर कब्जा रेस्पों0 को विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत ही दिलवाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 177 आर टी एक्ट पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलांट/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गय थे परन्तु अपीलांट द्वारा बाबजूद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई है। चूंकि अपीलांट द्वारा भूमि पर अनाधिकृत रूप से बिना किसी सक्षम स्वीकृति के निर्माण कार्य किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत वाधित है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है। जिससे यह तथ्य सामनें आये है कि विवादित आराजीयात खसरा नं0 1320 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम मूल्या का पुरा तहसील हिण्डौन में स्थित हैं। तहसीलदार हिण्डौन द्वारा उक्त आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से बिना किसी सक्षम स्वीकृति के राजकीय प्राथमिक विधालय का निर्माण किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय मे धारा 177 आर टी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट को नोटिस जारी कर तलब किया गया जिस पर अपीलांट श्यामलाल स्वयं अदालत मातहत मे हाजिर हुए है परन्तु शेष अपीलांट की तामिले जो कि पत्रावली मे उपलब्ध है उन पर ज्यादातर एक ही व्यक्ति द्वारा कराई गई है तथा पत्रावली मे दिनांक 30.4.15 से तारीख 1.7.15 नियत कर दी गई परन्तु बीच मे ही दिनांक 12.6.15 को पत्रावली को राजस्व लोक अदालत अलीपुरा मे पेश होना अंकित किया हुआ है। राजस्व लोक अदालत मे नियत करने से पूर्व किसी भी पक्षकार/अपीलांट को नोटिस जारी कर सूचित नही किया गया है। जो पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। जो कानूनी प्रावधानो के विपरीत है। इस प्रकार अपीलांट की अपील पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमा[illegible]ती हैं। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के मु0नं0 203[illegible] किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्र[illegible]त किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते [illegible] पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के न्यायालय मे दिनांक 03.03.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner